



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक 02.05.2025

थाना रमाला पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

महत्वपूर्ण सूचना- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करे एवं लाइसेंसी हथियारों का प्रदर्शन न किया जाए । यदि ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की अमल में लायी जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अमित पुत्र सतपाल निवासी ग्राम बिराल थाना रमाला जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री श्याम सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 164 विकास कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3-का0 577 अंकुर थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 4-हो0गा0 565 नरेश थाना रमाला जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 02.05.2025

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 162/2025 धारा 125 बीएनएस व 03/11 पशु क्रूरता अधिनियम से सम्बन्धित चार अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से दौड़ में प्रयोग किए जाने वाले 02 भैंसा, 03 बुग्गी व 11 मोटरसाइकिल बरामद ।

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही-

दिनांक 02.05.2025 को थाना सिंघावली अहीर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पिलाना भट्टा से ढिकौली की तरफ वाले रोड पर कुछ लोग अनाधिकृत रूप से पैसे लगाकर भैंसा-बुग्गी दौड़ करवाने की फिराक में हैं। उक्त सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना सिंघावली अहीर पुलिस मौके पर पहुंची तथा चार अभियुक्तों को



गिरफ्तार किया गया। मौके से दौड़ में प्रयोग किए जाने वाले 02 भैंसा, 03 बुग्गी व 11 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 162/2025 धारा 125 बीएनएस व 03/11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत किया गया है एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 162/2025 धारा 125 बीएनएस व 03/11 पशु क्रूरता अधिनियम से सम्बन्धित 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, मौके से दौड़ में प्रयोग किए जाने वाले 02 भैंसा, 03 बुग्गी व 11 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- 1-शोएब उर्फ चांद पुत्र शकील निवासी ग्राम ढिकौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
- 2-राहुल पुत्र राकेश निवासी ग्राम रोशनगढ थाना बालैनी जनपद बागपत।
- 3-अक्षय पुत्र अजय निवासी ग्राम रोशनगढ थाना बालैनी जनपद बागपत।
- 4-अंकुश पुत्र बिजेन्द्र निवासी ग्राम रोशनगढ थाना बालैनी जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 02 भैंसा, 03 बुग्गी।
- 11 मोटरसाइकिल।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-सोनवीर सोलंकी थानाध्यक्ष थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 2-उ0नि0 सोनू कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 3-उ0नि0 धीर सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 4-है0का049 प्रमोद यादव थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 5-है0का0660 नरेन्द्र कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

6-है0का0429 सिहराज नागर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
7-का01068 प्रवीण कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।



Meticulous Investigation & Prosecution BAGHPAT POLICE



“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में एनडीपीएस एक्ट के आरोपी शाहरूख को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 10 वर्ष का कठोर कारावास व 01 लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2018 में अभियुक्त शाहरूख पुत्र शाहिद निवासी मौ0 सराय हवेली के सामने, करबा बागपत थाना कोतवाली बागपत द्वारा 02 किलोग्राम अवैध चरस की तस्करी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 72/2018 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 02.05.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी-2 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त शाहरूख को दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास व 01 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा ।

@baghpatpolice

baghpatpolice

Baghpat Police



श्री दीपक शर्मा एडीजीसी जनपद
बागपत



आरक्षी हरदीप कौर
पैरोकार थाना कोतवाली बागपत

विवेचक
रि0 उ0नि0 बाजीलाल भास्कर





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली

दिनांक 02.05.2025

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 38/2025 धारा
190/191(2)/191(3)/103(1)/238ए/61(2) BNS से सम्बन्धित अभियुक्त को
मा0 न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा रिमांड पर लेकर अभियुक्त की निशांदाही
पर घटना में प्रयुक्त एक अवैध पिस्टल मय 01 खोखा कारतूस व 02 जिंदा
कारतूस .32 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में
अपराधों की रोकथाम हेतु
चलाये जा रहे अभियान के
अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस
द्वारा थाने के मु0अ0सं0
38/2025 धारा

190/191(2)/191(3)/

103(1)/238ए/61(2) BNS से
सम्बन्धित अभियुक्त को मा0



न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा रिमांड पर लेकर अभियुक्त की निशांदाही पर घटना में
प्रयुक्त एक अवैध पिस्टल मय 01 खोखा कारतूस व 02 जिंदा कारतूस .32 बोर
बरामद किया गया है।

उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर आवश्यक विधिक
कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस अभिरक्षा में लिए गए अभियुक्त का नाम व पता-

इमरान पुत्र रहीसुद्दीन निवासी ग्राम मवीकला थाना कोतवाली बागपत जनपद

बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- निशांदेही से घटना में प्रयुक्त एक अवैध पिस्टल मय 01 खोखा कारतूस व 02 जिंदा कारतूस .32 बोर ।

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

- 1- प्र0नि0 देवेश कुमार शर्मा थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 2- व0उ0नि0 गवेन्द्रपाल सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 3- उ0नि0 अनुज कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 4- है0का0 213 मोहित थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 5- का0 953 अंकुल थाना छपरौली जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 02.05.2025

थाना बिनौली पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही- बागपत पुलिस द्वारा जनपद मे अपराधो की रोकथाम एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है



गिरफ्तार वारण्टी/अभियुक्त का नाम व पता-

सूरज पुत्र विनोद निवासी ग्राम बडावद थाना बिनौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री दुर्गेश सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।

2-है0का0 440 राशिद खान थाना बिनौली जनपद बागपत ।